एम. एम. पुंछी और ए. एल. बहरी, जे.जे. के समक्ष।

रवनीत बिआतवा,-याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और न्य।

-प्रतिवादी।

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 11423

20 सितंबर 1989.

भारत का संविधान, 1950- नुच्छेद 226 और 227-इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें भरने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त एन-ट्रांस परीक्षा- नुसूचित जाति/ नुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित- नुसूचित जाति वर्ग से संबंधित याचिकाकर्ता योग्य होते हुए भी प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम ंक प्राप्त करने में विफल रहे - नुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट सामान्य वर्ग के लिए जारी की गई - ऐसी कार्रवाई - चाहे आरक्षण नीति का उल्लंघन हो।

माना गया कि इस संबंध में न्यायिक मिसालों और सरकारी नीति द्वारा, जो हाल के दिनों में परीक्षण और सवाल उठाए गए हैं, शैक्षणिक मानक और आरक्षण की मांग को जोड़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन किसी भी मामले में मानक को एक विशेष सीमा से नीचे जाने

की अनुमति नहीं दी गई है। यहां सरकारी नीति में 5 प्रतिशत सहनीय सीमा है जिसके द्वारा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए मानक को नीचे आने की अनुमति दी गई है। सरकार की नीति के तहत आगे ग्रेडिंग की अनुमति नहीं है। परिणामोन्मुख, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजों के मानकों को इतना नीचे नहीं किया जा सकता कि वे सहनीय सीमा से भी नीचे चले जाएँ।

(पैरा 5).

माना गया कि यह कल्पना को खारिज करता है कि यदि योग्यता अंक ही निर्धारण कारक थे, तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का क्या उपयोग था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जैसा कि हमें लगता है, बोर्डों और अन्य संस्थानों में प्रचलित विभिन्न शैक्षणिक मानकों को लागू करने के लिए है जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल होने के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

(पैरा 3).

माना गया कि प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता मानक निर्धारित करने वाला यह शब्द संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा प्राप्त मानकों से संबंधित है, न कि योग्यता अंकों के मानक से, जो किसी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र बनाता है। यह तर्क भी मान्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

(पैरा 4)

भारत के संविधान के ☒ नुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि:

(1) कि मामले के रिकॉर्ड को कृपया रद्द कर दिया जाए;

(यू) कि रिकॉर्ड के ☒ वलोकन और पक्षों के वकील की सुनवाई के बाद, यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित राहत देने में प्रसन्न हो सकता है:

(ए) याचिकाकर्ता को सत्र 1989-90 के लिए इंजीनियरिंग के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश देने और याचिकाकर्ता को, जो ☒ नुसूचित जाति का सदस्य है, ☒ नुमति देने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देने के लिए एक परमादेश रिट जारी करें। ☒ नुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों में से एक पर प्रवेश;

(iii) कोई ☒ न्य रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, कृपया जारी किया जा सकता है;

(iv) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई ☒ न्य राहत भी दी जा सकती है।

(v) मामले की तात्कालिकता को देखते हुए ☒ नुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की आवश्यकता को कृपया समाप्त किया जा सकता है:

(vi) मामले की तात्कालिकता को देखते हुए कृपया उत्तरदाताओं को इस याचिका की ☒ ग्रिम सूचना देने की आवश्यकता को समाप्त किया जाए;

(vii) कृपया इस याचिका की लागत याचिकाकर्ता के पक्ष में और उत्तरदाताओं के खिलाफ दी जाए।

(viii) आगे यह प्रार्थना की गई है कि इस माननीय न्यायालय में याचिका के लंबित रहने के दौरान। कृपया याचिकाकर्ता को सत्र 1989-90 के लिए इंजीनियरिंग के डिग्री पाठ्यक्रम में □ नंतिम रूप से प्रवेश देने का आदेश दिया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ □ धिवक्ता, आर. सी. सेतिया, □ धिवक्ता, उनके साथ थे।

एस.के. शर्मा, उप महाधिवक्ता, पंजाब, पंजाब राज्य के लिए।

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए एच.एस. मत्तेवाल, वरिष्ठ □ धिवक्ता, गुरमिंदर सिंह □ धिवक्ता उनके साथ थे।

आदेश

एम. एम. पुंछी, जे. (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता □ नुसूचित जाति का सदस्य है। पंजाब राज्य में एक इंजीनियरिंग कॉलेज/संस्थान में प्रवेश का दावा करने के लिए 10+2 प्रणाली में योग्यता परीक्षा में 50 प्रतिशत से □ धिक □ंक थे। कथित तौर पर चार संस्थान हैं जो याचिकाकर्ता जैसे उम्मीदवारों की जरूरतों को पूरा करते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय, जिससे ये कॉलेज संबद्ध हैं और संस्थान जुड़े हुए हैं, उनकी समकक्षता को ध्यान में रखते हुए योग्यता परीक्षाओं के विभिन्न स्रोतों से

प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है।

(2) याचिकाकर्ता ने संयुक्त रूप से 74 प्रतिशत ⊠ंक प्राप्त किए, इस संबंध में ⊠ नुलग्नक पी-1 में 20 प्रतिशत सीटों के आरक्षण और ⊠ नुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए निर्देश दिए गए हैं। योग्यता के आधार पर ⊠ पेक्षाकृत प्राप्त करने के लिए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 10 प्रतिशत ⊠ंक सुरक्षित करने होंगे। इसी तरह सामान्य वर्ग के ⊠ भ्यर्थियों को 15 प्रतिशत ⊠ंक प्राप्त करने होंगे। ⊠ ब यदि ⊠ नुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा ⊠ पने 20 प्रतिशत आरक्षण के भीतर 10 प्रतिशत और उससे ⊠ धिक ⊠ंकों का ⊠ पेक्षित मानक हासिल नहीं किया जाता है, तो कॉलेज, और विशेष रूप से थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रतिवादी नंबर 2 ने सरकारी निर्देशों के ⊠ नुलग्नक पी-1 के ⊠ नुसार ⊠ नुसूचित जाति के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के पक्ष में जारी करने का विकल्प चुना। याचिकाकर्ता को संस्थान ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। जैसा कि बार में कहा गया था, उन्होंने गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज, लुधियाना में भी आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन को उक्त याचिका द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इससे इस याचिका को बल मिला है.

(3) इस मामले के विद्वान वकील श्री सिब्बल का कहना है कि संयुक्त प्रवेश पात्रता निर्धारित करता है और एक बार पात्रता निर्धारित हो जाने के बाद व्यक्ति को योग्यता परीक्षा में प्राप्त

□ंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त योग्यता □ंक काफी □ धिक हैं। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि यह □ संतुलित प्रतीत होता है। यह कल्पना को खारिज कर देता है कि यदि योग्यता □ंक ही निर्धारण कारक थे, तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का क्या उपयोग था। जैसा कि हमें प्रतीत होता है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, बोर्डों और □ न्य संस्थानों में प्रचलित विभिन्न शैक्षणिक मानकों को लागू करने के लिए है जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल होने के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। यदि श्री सिब्बल के तर्क को स्वीकार करना होगा, तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हम इस तर्क को सिरे से खारिज करते हैं।

(4) दूसरा तर्क यह दिया गया कि सरकारी निर्देशों, □ नुलग्नक पी-1 के □ नुसार, याचिकाकर्ता प्रवेश का हकदार था। जिस शब्द पर भरोसा किया गया है वह निम्नलिखित शब्दों में है: -

"यह समझा जाता है कि विभिन्न संस्थानों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता मानक है। □ नुसूचित जाति/□ नुसूचित जनजाति से संबंधित छात्र आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होने चाहिए, यदि वे □ पने □ंकों और खुली सीटों पर प्रवेश पाने वाले □ंतिम व्यक्ति के □ंकों के बीच □ंतर के संदर्भ के बिना इस न्यूनतम मानक को प्राप्त करते हैं।

इस शब्द की व्याख्या श्री सिब्बल ने यह कहकर की है कि यह योग्यता □ंकों पर लागू होता है और इस उद्देश्य के लिए इसकी प्रासंगिकता है। हम इस रुख की भी सराहना नहीं करते. प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता मानक निर्धारित करने वाला यह शब्द संयुक्त प्रवेश परीक्षा

द्वारा प्राप्त मानकों से संबंधित है, न कि योग्यता ⊠ंकों के मानक से, जो किसी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र बनाता है। यह तर्क भी मान्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

(5) तीसरा तर्क यह उठाया गया कि याचिकाकर्ता संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 71 प्रतिशत ⊠ंक प्राप्त करने के बावजूद प्रवेश का हकदार था क्योंकि यह ⊠ न्यथा आरक्षण की नीति का उल्लंघन होगा। इस संबंध में न्यायिक उदाहरणों और सरकारी नीति द्वारा, जो हाल के दिनों में परीक्षण और प्रश्नांकित हुए हैं, शैक्षणिक मानक और आरक्षण की मांग को जोड़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन किसी भी मामले में मानक को एक विशेष सीमा से नीचे जाने की ⊠ नुमति नहीं दी गई है। यहां सरकारी नीति में 5 प्रतिशत सहनीय सीमा है जिसके द्वारा ⊠ नुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए मानक को नीचे आने की ⊠ नुमति दी गई है। सरकारी नीति के तहत, आगे ग्रेडिंग की ⊠ नुमति नहीं है। परिणामोन्मुख, जैसा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में होता है, मानकों को इतना नीचे नहीं किया जा सकता कि वे सहनीय सीमा से नीचे चले जाएँ। इसलिए यह तर्क हमें भी रास नहीं आता. थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला, जहां याचिकाकर्ता ने प्रवेश मांगा था, का प्रॉस्पेक्टस जारी करते समय इन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया है। हमारे विचार में, उसे प्रवेश देने से इनकार करना सही था। रिटर्न में यह दावा किया गया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में योग्यता के

आधार पर याचिकाकर्ता से ऊपर के 27 उम्मीदवारों को भी प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया है।

(6) प्रचलित कारणों से, हम इस याचिका को स्थायी रूप से खारिज करते हैं।

पी.सी.जी.

स्वीकरण : स्थानीय भाषा में नुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह पनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी न्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का ंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा